फाइल नं0-71-3099/126/2020-03

141/2022/I/223561/2022

प्रेषक,

कुलदीप कुमार रस्तोगी,
संयुक्त सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

महानिदेशक,
चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण,
उ0प्र0, लखनऊ।

चिकित्सा शिक्षा अनुभाग-3 **लखनऊ : दिनॉक 12 अक्टूबर, 2022**

विषयः- वित्तीय वर्ष 2022-23 में केन्द्र सहायतित योजना (फेज-3) के अन्तर्गत स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय, गोण्डा के निर्माण कार्य हेतु राज्यांश के रूप में धनराशि अवमुक्त किया जाना।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अधीक्षण अभियन्ता, भवन सेल, लोक निर्माण विभाग, लखनऊ के पत्रांक-1208/बजट/भवन सेल, दिनॉक 08.09.2022 के क्रम में अवगत कराना है कि शासनादेश संख्या-71/2020/1456/71-3-2020-एन0एम0-14/2019, दिनॉक 18-12-2020 द्वारा स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय, गोण्डा के निर्माण कार्य हेतु व्यय वित्त समिति द्वारा अनुमोदित लागत रू0 281.7110 करोड़ की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान की गयी। उक्त स्वीकृत लागत रू0 281.7110 करोड़ के सापेक्ष विभिन्न शासनादेशों द्वारा कुल रू0 108.00 करोड़ की वित्तीय स्वीकृति निर्गत की जा चुकी है, जिनका विवरण निम्नवत् है-

क्र0सं0	शासनादेश संख्या व दिनॉक	धनराशि (रू0 करोड़ में)
1	संख्या-29/2020/401/71-3-2020-एन0एम0-25/2019, दिनांक 27.03.2020	20.00 (रू0 12.00 केन्द्रांश एवं रू0 8.00 राज्यांश)
2	संख्या-123/2021/ई-1790528/71-3-2021-एन0एम0-14/2019, दिनॉक 21.09.2021	15.00 केन्द्रांश
3	संख्या-23/2022/985/71-3099/126/2020-03 , दिनॉक 03.02.2022	23.00 केन्द्रांश
4	संख्या-59/2022/ई-2063145/71-3002(001)/2/ 2021-03 , दिनॉक 28.03.2022	50.00 केन्द्रांश
	योग	**108.00**

3- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि **वित्तीय वर्ष 2022-23 में स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय, गोण्डा के निर्माण कार्य हेतु अनुमोदित लागत रू0 281.7110 करोड़ के सापेक्ष राज्यांश के रूप में रू0 16.00 करोड़ (रू0 सोलह करोड़ मात्र) की धनराशि** निम्न शर्तो/प्रतिबन्धों के अधीन अवमुक्त किये जाने की राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

1. स्वीकृत धनराशि को पी0एल0ए0 /बैंक खाते/डाकघर में नहीं रखा जायेगा। अवमुक्त धनराशि का आहरण एकमुश्त नहीं किया जाएगा, अपितु आवश्यकतानुसार करते हुए व्यय नियमानुसार किया जायेगा। स्वीकृत धनराशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र तथा भौतिक प्रगति का विवरण समयान्तर्गत शासन को उपलब्ध कराया जायेगा।
2. वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप दिनॉक 07.06.2022 में उल्लिखित दिशा-निर्देशों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
3. निर्माण कार्य हेतु कार्यदायी संस्थाओं केा दो-दो माह की आवश्यकतानुसार धनराशि निर्गत की जाए। विभागाध्यक्ष/कार्यालयध्यक्ष में तैनात वित्त नियंत्रक का यह उत्तरदायित्व होगा कि धनराशि का कोषागार से

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

आहरण दो-दो माह की आवश्यकता के अनुसार ही किया जाए। कार्यदायी संस्था द्वारा पूर्व में दी गयी धनराशि के 80 प्रतिशत का उपयोग करने के उपरांत अगले दो माह के लिए पुनः आवश्यक धनराशि कोषागार से आहरित करके दी जाए।

4. योजना हेतु भारत सरकार के दिशा-निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
5. शासनादेश संख्या-71/2020/1456/71-3-2020-एन0एम0-14/2019, दिनॉक 18-12-2020 में उल्लिखित अन्य शर्ते यथावत् लागू रहेंगी।

4- इस संबंध में होने वाला व्यय रुपये 16,00,00,000 (रुपये सोलह करोड़ मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2022-23 के आय-व्ययक मे **अनुदान संख्या** 031 **लेखा शीर्षक** 4210031058912 मेडिकल कालेज, गोण्डा **मानक मद** 24 वृहत् निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

5- यह आदेश कंप्यूटर द्वारा उत्पन्न संख्या-ई-3-293/दस-2022-23, दिनांक 10 अक्टूबर, 2022 मे प्राप्त वित्त विभाग की सहमति से निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,

(कुलदीप कुमार रस्तोगी)
संयुक्त सचिव।

<u>संख्याः-उपरोक्त तद्दिनांक।</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, इलाहाबाद।
2. महालेखाकार (लेखा परीक्षा), प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, इलाहाबाद।
3. प्रमुख सचिव, लोक निर्माण विभाग, उ0प्र0 शासन।
4. जिलाधिकारी, गोण्डा।
5. प्रमुख अभियन्ता (विकास) एवं विभागाध्यक्ष, लो0नि0वि0, लखनऊ।
6. मुख्य अभियन्ता (भवन), लो0नि0वि0, लखनऊ।
7. वित्त नियंत्रक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, निदेशालय, उ0प्र0 लखनऊ।
8. वरिष्ठ कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
9. अनु सचिव, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली।
10. नियोजन-अनुभाग-4
11. वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/2, वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-3
12. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(कुलदीप कुमार रस्तोगी)
संयुक्त सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in